

रिपोर्ट पटवारी हलना/आइओएलओआरओ

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

महोदय श्री/प्रार्थी श्री/उत्तरदाता श्री/संबन्धी आधार फॉट, पैन कार्ड बैंक पास बुक परिवार राशन कार्ड के आधार पर उत्तरदाता नरणा के बनाये प्रत्युत्पाद नं० ५/० नारायणलाल किमा जोगी उचित है - 14/12/2021

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

उचित किमा जोगी उचित

14/12/2021
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
:- आदेश :-

दिनांक :- 14-12-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	जोधपुरा	2075-78	127	उत्तरदाता नरणा	उत्तरदाता श्री/ 5/0 नारायणलाल

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की लना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 14-12-2021

क्र :- राजस्व/2020/2232

पि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वारंते पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचना

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी